ऋण निवारण न्यायालय (वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – नरेश कुमार जैन, आरजेएस

डी.आर.सी. प्रकरण संख्या – 12/2015

(CIS No. 12/2015)

CNR NO–RJSG030001412015

शम्भु प्रजापति पुत्र कालूराम निवासी वार्ड नं. 44, कुम्हार मौहल्ला, श्रीगंगानगर।

–– आवेदक/ऋणदाता

बनाम

चेलाराम पुत्र मुलतान राम निवासी गांव आसावरी तहसील नागौर जिला नागौर।

––अनावेदक/ऋणी

आवेदन पत्र बाबत ऋण विनिश्चियकरण अन्तर्गत धारा 6(2) राजस्थान कृषि निवारण अधिनियम, 1957.

प्रतिनिधित्वः–

(01) श्री विजय चावला, विद्वान अधिवक्ता वास्ते आवेदक।

(02) अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

–निर्णय– **दिनांकः 06.08.2026**

1. आवेदक/ऋणदाता शम्भु प्रजापति ने जरिए अधिवक्ता अनावेदक/ऋणी चेलाराम के विरूद्ध मूलधन 1,20,000/– रूपये व ब्याज 24,000/– रूपये कुल राशि 1,44,000/– रूपये के ऋण विनिश्चयकरण बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 21.08.2015 को न्यायालय में पेश किया जो इस न्यायालय में दिनांक 11.09.2015 को दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक, उत्तरवादी/ऋणी चेलाराम का ऋणदाता है तथा ऋणी अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य है। आवेदक ऋणदाता/ऋणी काश्तकारी पेशा व्यक्ति है और काश्त करता है। उत्तरवादी–ऋणी द्वारा आवेदक से दिनांक 06.10.2014 को 1,20,000/– रुपये उधार लिये थे उस पर 2/– रुपये प्रति सैंकड़ा मासिक ब्याज दर भी अदा किये जाने का तथ्य अंकित किया गया था और उक्त राशि उधार प्राप्त करके ऋणी द्वारा एक प्रोनोट भी ऋणदाता के पक्ष में दिनांक 06.10.2014 को तहरीर करवाया था, जिस पर ऋणी के हस्ताक्षर भी है और ऋणी द्वारा राशि उधार लेते समय उक्त राशि की अदायगी मय ब्याज अतिशीघ्र एक माह में ऋणदाता को लौटाने का आश्वासन दिया गया था। ऋणदाता द्वारा बार–बार उधार ली गई राशि मय ब्याज की अदायगी के लिये ऋणी से निवेदन किया गया मगर आज तक उसकी अदायगी ऋणी/उत्तरदाता द्वारा नही की गई है। इस प्रकार से उत्तरवादी–ऋणी द्वार आवेदक से ली गई राशि की आवेदक के बार बार मांग करने पर भी राशि की अदायगी नहीं की और ना ही

उधार ली गई राशि का ब्याज आवेदक/ऋणदाता को दिया गया है जिसकी आवेदक बार बार मांग करता रहा तथा उत्तरवादी–ऋणी आज–कल, आज–कल का बहाना बनाकर समय निकालता रहा। इस प्रकार से आवेदक ऋणदाता, उत्तरवादी–ऋणी से 1,20,000/– रुपये की राशि एवं ब्याज के रूप में 24,000/–रुपये कुल 1,44,000/– रुपये प्राप्त करने का अधिकारी है और उत्तरवादी–ऋणी उक्त वर्णित राशि उसे अदा करने के लिए उत्तरदायी है। आवेदक ऋणदाता ने उत्तरवादी–ऋणी से अपनी बकाया राशि की वसूली हेतू कई बार निवेदन किया गया मगर उत्तरवादी ऋणी द्वारा आवेदक ऋणदाता को कोई राशि की अदायगी नही की गई तथा अंतिम बाद आवेदक ऋणदाता द्वारा उत्तरवादी–ऋणी से 1,20,000/– रुपये मय ब्याज की मांग की तो उत्तरवादी द्वारा आवेदक ऋणदाता को राशि देने से साफ इंकार कर दिया गया। इस पर ऋणदाता द्वारा अपने अधिवक्ता की मार्फत एक नोटिस दिनांक 25.05.2015 को ऋणी को भिजवाया जो ऋणी को प्राप्त हो गया लेकिन ऋणी द्वारा ऋणदाता को आज तक उक्त राशि अदा नहीं की है। अंत में प्रार्थनापत्र न्यायालय के श्रवणाधिकार, क्षेत्राधिकार व अंदर मियाद निर्धारित न्याय–शुल्क पर पेश होना वर्णित करते हुए एवं अनावेदक/ऋणी की चल व अचल सम्पत्ति का विवरण पेश करते हुए मूल राशि मय ब्याज विनिश्चय किए जाने का निवेदन किया।

3. अनावेदक/ऋणी का नोटिस दिनांक 31.05.2019 को बाद तामील प्राप्त हुआ व ऋणी की ओर से अधिवक्ता श्री बलराम स्वामी उपस्थित आये एवं जवाब हेतु पर्याप्त अवसर लिये जाने के बावजूद जवाब प्रार्थनापत्र पेश नहीं किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 04.04.2025 को जवाब का अवसर बन्द किया गया।

4. अनावेदक/ऋणी की ओर से जवाब पेश नहीं होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक विरचित नही किये गये।

5. न्यायालय के समक्ष मुख्य अवधारणीय प्रश्न यह है कि–

1–आया अप्रार्थी ने दिनांक 06.10.2024 को प्रार्थी से 1,20,000 रूपये की नगद राशि उधार प्राप्त करके, प्रोनोट एंव रसीद हस्ताक्षकर करके, प्रार्थी को सुपुर्द किये ?

2–आया प्रार्थी, अप्रार्थी से उक्त असल राशि 1,20,000/–रूपये पर 2/– रूपये प्रति सैकड़ा मासिक की दर से ब्याज पेटे 24,000/–रूपये, इस प्रकार कुल राशि 1,44,000 रूपये प्राप्त करने का अधिकारी है ?

3–आया उत्तरदाता/अप्रार्थी राजस्थान कृषि ऋण निवारण अधिनियम, 1957 की धारा 2 के खंड (सी सी) के अंतर्गत कृषक ऋणी है ?

4– (क) यदि कोई ऋणदेयता अप्रार्थी पर भारित होती है, तो क्या अप्रार्थी उसकी अदायगी की क्षमता रखता है ?

(ख) यदि हाँ, तो अदायगी की रीति क्या होगी ?

5–अनुतोष ?

6. उक्त अवधार्य प्रश्नों के संबंध में आवेदक/ऋणदाता की ओर से मौखिक साक्ष्य में के रूप में निम्न सूची अनुसार गवाहान को पेश कर परीक्षित करवाया गया–

<u>आवेदक गवाहान की सूची</u>

क– अर्जीदार गवाहान

क्रम	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार**
ए.ड. 1	शम्भु प्रजापति	आवेदक साक्षी
ए.ड.2	पवन कुमार	आवेदक साक्षी

आवेदक की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में निम्न सूची अनुसार दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित करवाये गये–

आवेदक की ओर से प्रदर्शित दस्तावेजात

ख – आवेदक दस्तावेज

प्रदर्श नंबर	**विवरण**
प्रदर्श–1	असल प्रनोट
प्रदर्श–2	रसीद
प्रदर्श–3	नोटिस
प्रदर्श–4 व 5	डाक रसीद
प्रदर्श–6 व 7	असल ए.डी.

7. अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा साक्ष्य प्रार्थी के दोनों गवाहान से जिरह की गई है व कालान्तर में साक्ष्य अप्रार्थी के प्रक्रम पर अप्रार्थी स्वयं अथवा उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आने के कारण अप्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 30.01.2026 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई जो आज दिनांक तक प्रभावी है। अनावेदक/ऋणी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से अप्रार्थी की ओर से कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई।

8. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/ऋणदाता ने आवेदन पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किए कि अनावेदक ने आवेदक से दिनांक 06.10.2014 को 1,20,000/– रूपये की राशि नगद उधार की थी तथा उक्त राशि पर 2/– प्रति सैकड़ा प्रतिमाह की दर से अदायगी तक ब्याज अदा करने का वायदा व करार आवेदक से किया था। अनावेदक ने उक्त राशि प्राप्त करते समय गवाहान की

उपस्थिति में एक प्रोनोट मय रसीद अपने हस्ताक्षरों से आवेदक के पक्ष में विधिवत रूप से निष्पादित कर आवेदक को सुपुर्द किया था तथा उक्त ऋण राशि मय ब्याज शीघ्र ही अदा करने का वचन दिया परन्तु वचनानुसार अनावेदक ने आवेदक को अदायगी नहीं की।। अप्रार्थी का पेशा कृषक है। उसकी माली हालत खूब अच्छी है। वह सारी रकम एक साथ अदा कर सकता है। अंत में प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए मूल राशि मय ब्याज दिलाये जाने का निवेदन किया गया।

9. अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से अप्रार्थी की ओर से बहस नहीं हुई।

10. अधिवक्ता प्रार्थी के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली तथा संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया। विरचित विवाद्यकों पर न्यायालय का बिन्दुवार विनिश्चय अग्रवर्णितानुसार है–

<u>अवधार्य बिन्दु संख्या–01</u>

11. उक्त अवधार्य बिन्दु के संबंध में प्रार्थी द्वारा अपने व एक अन्य गवाह पवन कुमार के बयान करवाये गये है। प्रार्थी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में प्रार्थनापत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया है कि अप्रार्थी ने दिनांक 06.10.2014 को प्रार्थी से 1,20,000/– रूपये की राशि नगद उधार प्राप्त की थी जिसके संबंध में प्रोनोट व रसीद निष्पादित किये गये थे। प्रार्थी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान उक्त प्रनोट व रसीद प्रस्तुत किये गये हैं। जिरह में प्रार्थी कथन करता है कि उसने चेलाराम को 06.10.2014 को राशि उधार दी थी। अप्रार्थी गांव असावरी तहसील जिला नागौर का रहने वाला है चेलाराम अभी वहीं रहता है। लेकिन जब उसने राशि उधार दी थी उस समय चेलाराम श्रीगंगानगर में ही रहता था। अधिवक्ता अप्रार्थी का प्रार्थी से जिरह के दौरान ऐसा कोई सुझाव नहीं रहा है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त राशि प्रार्थी से न प्राप्त की गई हो तथा उक्त प्रनोट व रसीद का दुरूपयोग किया गया हो।

12. प्रार्थी गवाह ए.ड.2 पवन कुमार जो कि मौका का गवाह है, अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि चेलाराम ने शम्भु वर्मा से 1,20,000/–रूपये दिनांक 08.10.2014 को उधार लिये थे। उक्त उधार राशि प्राप्त करते समय चेलाराम ने एक प्रनोट व रसीद शम्भु प्रजापति को तहरीर व तस्दीक करवाकर दी थी जिसमें उसे बतौर गवाह नाम अंकित करवाये गये थे। उसके सामने राशि का लेन देन किया गया था उक्त प्रनोट की लिखापढी भी उसके सामने की गई थी। प्रनोट प्रदर्श–1 व रसीद प्रदर्श–2 उसके सामने लिखी गई थी जिसपर बतौर गवाह उसका नाम सी से डी स्थान पर अंकित है उसके सामने ही चेलाराम ने 1,20,000/–रूपये की राशि शंभू प्रजापति से उधार ली थी। जिरह में गवाह स्वीकार करता है कि वह चेलाराम को जानता है। पैसे उसके सामने ही दिये थे। इसके अतिरिक्त गवाह कौन है, गवाह को पता नहीं। इस प्रकार उक्त गवाह द्वारा भी स्वयं के समक्ष अप्रार्थी

द्वारा प्रार्थी से 1,20,000/–रूपये की राशि उधार प्राप्त की जाकर प्रनोट व रसीद निष्पादित किये जाने के तथ्यों की ताईद की गई है व रसीद पर सी से डी स्वयं के हस्ताक्षर होना कथन किया गया है जिसका कोई खण्डन अप्रार्थी की ओर से नही हुआ है।

13. इस प्रकार प्रार्थी अपनी ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से इस तथ्य को साबित करने में सफल रहा है कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी से दिनांक 06.10.2014 को 1,20,000/–रूपये की राशि उधार प्राप्त की गई थी व इस संबंध में प्रनोट व रसीद निष्पादित किये गये थे। अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब प्रार्थनापत्र पेश नहीं किया गया है और न ही अप्रार्थी द्वारा कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य, प्रार्थी के कथनों के खण्डन में प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी अपनी जिरह में अपने मुख्य परीक्षा के कथनों पर अडिग रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी उक्त अवधार्य बिन्दु अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है तथा उक्त अवधार्य बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में तय किया जाता है।

<u>अवधार्य बिन्दु संख्या–02</u>

14. उक्त अवधार्य बिन्दु के संबंध में प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में यद्यपि प्रार्थी, अप्रार्थी से 2/– प्रति सैकड़ा की दर से ब्याज तय होने का कथन करता है जो अत्यधिक है। उक्त मूल राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः प्रकरण के तथ्यों परिस्थितियों में 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है जिसके अनुसार ब्याज की गणना मूल बकाया राशि 1,20,000/– रूपये पर पक्षकारान के बीच हुए संव्यवहार की दिनांक 06.10.2014 से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 21.08.2015 तक 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है। उक्तानुसार उक्त अवधार्य बिन्दु का निस्तारण किया जाता है।

<u>अवधार्य बिन्दु संख्या–03.</u>

15. इस अवधार्य बिन्दु के संबंध में प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में अप्रार्थी का पेशा काश्तकारी होना प्रकट करते हुए उसके द्वारा काश्त किया जाना प्रकट किया गया है व गांव असावरी में उसके पास करीब 10 लाख रूपये की कृषि भूमि होना प्रकट किया गया है। अप्रार्थी कृषक न हो, इस संबंध में कोई सुझाव गवाह से जिरह के दौरान अधिवक्ता अप्रार्थी का नहीं रहा है और न ही इस संबंध में अप्रार्थी की तरफ से कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त अवधार्य बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में तय किया जाता है।

<u>अवधार्य बिन्दु संख्या–4(क) व 4(ख).</u>

16. उक्त अवधार्य बिन्दु अदायगी की क्षमता व रीति के संबंध में है। प्रार्थी ने अपने अभिवचनों एवं अपनी मौखिक साक्ष्य में अनावेदक की आजीविका का स्त्रोत मुख्यतः कृषि पर आधारित होना व अनावेदक के पास गांव असावरी में 10 लाख रूपये की कृषि भूमि

होना बताया है, जिसका कोई खण्डन अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में नहीं किया गया है। जहां तक उक्त कृषि भूमि से निश्चित आय का प्रश्न है, इस संबंध में पत्रावली पर किसी प्रकार की साक्ष्य आवेदक की ओर से पेश नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी की आय के संबंध में पत्रावली पर स्पष्ट प्रमाण नहीं होने से यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी एकमुश्त अदायगी की हैसियत हो तथापि अनावेदक काश्तकार एवं ग्रामीण व्यक्ति हैं जिसकी आजीविका का अन्य कोई स्त्रोत होना पत्रावली पर प्रकट नहीं हुआ है। कृषि प्राकृतिक विपदाओं पर निर्भर रहती है। ऐसे में प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अनावेदक व उनके परिवार पर होने वाले खर्च आदि तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम की धारा 11 की भावना के दृष्टिगत ऋण की किश्तों में अदायगी करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः यह अवधार्य बिन्दु इसी प्रकार निर्णीत किये जाते है।

<u>अवधार्य बिन्दु संख्या–05 (अनुतोष)</u>

17. उपर्युक्त समस्त विवेचनापरांत अवधार्य बिन्दु संख्या–01, 02, 03 व 4क व 4ख के विनिश्चियानुसार आवेदक का अनावेदक की तरफ 1,20,000/– रूपये मूल राशि के रूप में बकाया होना तथा उक्त राशि पर पक्षकारान के बीच हुए संव्यवहार की दिनांक 06.10.2014 से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 21.08.2015 तक 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी माना गया है जिसके अनुसार ब्याज की गणना मूल बकाया राशि 1,20,000/–रूपये पर पक्षकारान के बीच हुए संव्यवहार की दिनांक 06.10.2014 से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 21.08.2015 तक 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है। आवेदक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 21.08.2015 से तावसूली तक 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी, मूल राशि पर प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है।

<u>––आदेश––</u>

18. फलतः आवेदक **शम्भु प्रजापति** पुत्र कालूराम निवासी वार्ड नं. 44, कुम्हार मौहल्ला, श्रीगंगानगर का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6(2) राजस्थान कृषि ऋण निवारण अधिनियम, 1957 विरूद्ध अनावेदक **चेलाराम** पुत्र मुलतान राम निवासी गांव आसावरी तहसील नागौर जिला नागौर, बहक आवेदक विरूद्ध अनावेदक असल बकाया 1,20,000/– रूपये व उक्त राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज 9450/–रूपये, कुल राशि 1,29,450/– रूपये ऋण विनिश्चित किया जाता है, जो राशि अनावेदक अदा करने के दायित्वाधीन होगा तथा आवेदक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 21.08.2015 से तावसूली तक 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी मूल राशि पर प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

19. अनावेदक उक्त राशि की अदायगी 03 त्रैमासिक किश्तों के हिसाब से आवेदक को करेगा जिसमें से प्रथम दो किश्तें प्रत्येक किश्त क्रमशः 40,000/– रूपये, 40,000/–

रूपये की क्रमशः दिनांक 06.11.2026, 06.02.2027 को देय होगी। अंतिम किश्त शेष राशि 49,450/–रूपये की दिनांक 06.05.2027 को देय होगी। किसी भी किश्त की अदायगी में चूक होने पर आवेदक 4 प्रतिशत वार्षिक की दर से अतिरिक्त साधारण ब्याज पाने का अधिकारी होगा।

20. नियमानुसार 15 दिवस में न्यायशुल्क पेश होने पर डिक्री पर्चा तैयार किया जावे।

(नरेश कुमार जैन)
ऋण निवारण न्यायालय
श्रीगंगानगर

21. निर्णय व आदेश आज दिनांक 06.08.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार जैन)
ऋण निवारण न्यायालय
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.08.07 11:43:11 IST